न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–143/2026
खगड़िया थाना काण्ड सं0–58/2021
छोटू यादव उर्फ संजीव कुमार – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

13.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **छोटू यादव उर्फ संजीव कुमार** की ओर से दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री राधे प्रसाद यादव के द्वारा संचालित किया गया। मामला जमानत के दुरूपयोग का है। पुकार पर आवेदक/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुए, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक अभियुक्त जमानत पर था तथा उसका जमानत बंध–पत्र दिनांक 15.11.2025 को खण्डित कर दिया गया है। आवेदक के द्वारा जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया गया है, बल्कि वह गरीब आदमी है और वह अपनी आजीविका एवं पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्य चला गया था, लेकिन उसकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया और उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया है। अब उसकी ओर से ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा वह प्रत्येक निर्धारित तिथि को उपस्थित रहने का वचन देता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–143/2026
खगड़िया थाना काण्ड सं0–58/2021

लगातार
13.03.2026

अभियुक्त इस वाद में जमानत पर था तथा अभिलेख प्रतिलिपि हेतु निर्धारित था तथा उसे मामले में सदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था, इसके बावजूद भी, जब वह न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित नहीं हुआ, तो उसका जमानत बंध–पत्र दिनांक 15.11.2025 को विखण्डित कर दिया गया। आवेदक अभियुक्त की ओर से यह कहा गया है कि वह जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किये हैं, बल्कि वह गरीब आदमी है और वह अपनी आजीविका एवं पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्य चला गया था, लेकिन उसकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया था। अब भविष्य में ऐसी गलती करेगा तथा प्रत्येक निर्धारित तिथि को वह न्यायालय में उपस्थित रहने का वचन देता है। आवेदक/अभियुक्त स्वेच्छा से आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है, ऐसी दशा में उसे जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जॉंचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।